राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 30 जुलाई, 2009 / 8 श्रावण, 1931

हिमाचल प्रदेश सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 28 जुलाई, 2009

संख्याः टी.पी.टी.–ए (3) 1 / 2009.––प्रारूप संशोधन नियम नामतः हिमाचल प्रदेश मोटर व्हीकलज़ (प्रथम संशोधन) नियम, 2009, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 212 के उपबन्धों के अनुसरण में समसंख्यक अधिसूचना तारीख 23–06–2009 द्वारा इनसे सम्भाव्य प्रभावित व्यक्तियों से मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 212 के अधीन यथा अपेक्षित, इनके प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में 25–06–2009 को प्रकाशित किए गए थे।

2. विधित अवधि के भीतर उक्त प्रारूप नियमों से सम्बन्धित जन साधारण से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

3. अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 30 तथा धारा 38(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैंः––

1. **संक्षिप्त नाम.––**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटरयान (प्रथम संशोधन) नियम, 2009 है ।

(2) यह नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **नियम 22 का संशोधन.––**हिमाचल प्रदेश मोटरयान नियम, 1999 के नियम 22 के उपनियम (1) के खण्ड (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :–

''(3) हिमाचल प्रदेश में, यथास्थिति, जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी / वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या रैफरल अस्पताल या उप–मण्डल अस्पताल या ग्रामीण अस्पताल या सिविल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से, हिमाचल प्रदेश प्रारूप 8 एफ0 ए0 बी0 में प्राथमिक उपचार का कार्य करने की सक्षमता प्रदर्शित करने वाले प्रमाण–पत्र सहित हिमाचल प्रदेश प्रारूप 9 एम सी कान में चिकित्सा प्रमाण–प्रत्र जिसे इस प्रयोजन के लिए निदेशक द्वारा निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हिमाचल प्रदेश की सिफारिशों पर प्राधिकृत किया गया है ।''

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
अतिरिक्त मुख्य सचिव।

––––––––––

[*Authoritative English Text of this department notification No. TPT-A(*3*)*1/2009, *dated* 28-07-2009 *as required under clause (*3*) of article* 348 *of the Constitution of India.*]

TRANSPORT DEPARTMENT

Shimla-2, *the* 28*th July,* 2009

No. TPT-A(3)1/2009.—Whereas the draft Himachal Pradesh Motor Vehicles (First Amendment) Rules, 2009 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on dated 25-06-2009, vide notification of even number dated 23-06-2009 in pursuance of the provision of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988) for inviting objections and suggestion from person(s) likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication;

2. And, whereas no objection has been received to the Government on the said draft rules within the stipulated period**;**

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 30 and 38(2) of the Motor Vehicles Act, 1988, (Act No:59 of 1988),the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely:—

1. Short title.—(1) These rules shall be called the Himachal Pradesh Motor Vehicles (First Amendment) Rules, 2009**.**

(2) They shall come into force from the date of publication in the Rajpatra.

2. Amendment of rule 22.—In rule 22 of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, for clause (iii) of sub rule (1), the following shall be substituted, namely:—

"(iii) a medical certificate of fitness in HP Form IX MC Con alongwith a certificate showing competence to undertake first aid work in H.P Form VIII F.A.B from Chief Medical Officer of the district/Senior Medical Officer or Medical Officers incharge of a referral hospital or Sub Divisional Hospital or Rural Hospitals or Civil Hospital, as the case may be, in Himachal Pradesh who are authorized by the Director on the recommendations of the Director, Health Services, Himachal Pradesh for this purpose."

By order,
Sd/-
Additional Chief Secretary.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA–171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 28*th July,* 2009

No. HHC/Estt. 7 (35)/2007-I.—In suppression of this Registry Notification No. HHC/ Estt. 7 (35)/2007-1097-1111, dated 12-1-2009 and in exercise of the powers conferred by Section 5 read with Section 2(*h*) of the Right to Information Act, 2005 (Act No. 22 of 2005), Hon'ble the Chief Justice has been pleased to designate Shri Ashwani Sharma, Deputy Registrar (GAD) as State Public Information Officer at High Court Level on and with effect from 2-8-2009.

By order,
Sd/-
Registrar General.

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 29*th July,* 2009

No. EXN-F (18) 2/99.—In exercise of the powers vested in him under section 10 of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955 and whereas it is expedient to do so, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to exempt in the public interest, those trucks entering from the neighbouring States of Punjab**,** Haryana**,** Uttaranchal**,** Uttar Pradesh**,** Delhi and U.T. Chandigarh to Himachal Pradesh specifically engaged for transportation of apples and potatoes from the State, from the payment of Goods Tax leviable under section 3 of the said Act with effect from 1-8-2009 to 31-10-2009 while loaded with apples and potatoes only.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 30 मई, 2009

संख्या एल0एल0आर–सी (1)–5 / 80.––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा 4(ग) और 16(1)(ख) के उपबन्धों के निबन्धनों अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त सहायता अनुदान निधियों के विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम अधिसूचित करती हैः––

1. **संक्षिप्त नाम औरैर प्रारम्भ.––**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (सहायता अनुदान) नियम, 2009 हैं ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.––**(1) इन नियमों में जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो–

(क) "अधिनियम" से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) अभिप्रेत है;

(ख) "केन्द्रीय प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा–3 के अधीन गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से यथास्थिति राज्य प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष, या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष, या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष या उप मण्लीय (तालुक) विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "जिला प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा–9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ङ) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(च) "उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति" से अधिनियम की धारा 8क के अधीन गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, अभिप्रेत है;

(छ) "लोक अदालत" से अधिनियम के अध्याय 8(VI) की धारा–19 के अधीन गठित लोक अदालत अभिप्रेत है;

(ज) "विनियम" से अधिनियम के अधीन बनाए गए हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम अभिप्रेत है;

(झ) "नियम" से अधिनियम के अधीन विरचित हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, अभिप्रेत हैं;

(ञ) "सचिव" से यथास्थिति अधिनियम की धारा–6 के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का सदस्य सचिव या अधिनियम की धारा 8क के अधीन गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का सचिव, या अधिनियम की धारा–9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सचिव अभिप्रेत है;

(ट) "राज्य प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा–6 के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ठ) "तालुक विधिक सेवा समिति" से अधिनियम की धारा 11क के अधीन गठित तालुक विधिक सेवा समिति अभिप्रेत है;

(2) समस्त अन्य शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं परन्तु परिभाषित नहीं हैं वही अर्थ होगें जो इस अधिनियम में और अधिनियम के सुसंगत उपबन्धों के अधीन बनाई गई स्कीमों में है।

3. **सहायता–अनुदान का प्रयोजन.––**सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त निधियों को आगे उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुक विधिक सेवा समिति को निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु आबंटित किया जाएगाः––

(i) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन और राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विरचित विधिक सहायता स्कीम और अन्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन के लिए;

(ii) उन व्यक्तियों को, जो अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाए गए विनियमों के अधीन अधिकथित मानदण्ड पूरा करते हों, विधिक सेवा उपलब्ध करवाने के लिए ;

(iii) उच्च न्यायालय के मामलों हेतु लोक अदालतों सहित लोक अदालतें संचालन करने के लिए ;

(iv) विधिक सहायता परामर्श (काउंसेल) फीस का संदाय करने के लिए ;

(v) शहरी क्षेत्रों के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में "विधिक साक्षरता शिविर" के नाम से विधिक साक्षरता (लिटरेसी) कैम्प आयोजित करने के लिए ;

(vi) विधिक व्यवसायियों और सम्बद्ध प्राधिकरणों / समितियों के कर्मचारिवृन्द को संदत्त किए जाने वाले मानदेय का संदाय करने के लिए ;

(vii) विधि पुस्तकों का क्रय करने के लिए ;

(viii) विधिक साक्षरता सामग्री की विषय–वस्तु के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाने के लिए ;

(ix) विधिक संकल्पनायों या विधिक प्रक्रियाओं को समर्पित करने या स्पष्ट करने के दृष्टिगत दृश्यप्रभाव (विजुअल्ज) के उपयोग पर विचार करने हेतु ;

(x) विधिक साक्षरता पर सैंपल (नमूना) सामग्री की तैयारी का जिम्मा लेने हेतु ;

(xi) विधिक साक्षरता पर विद्यमान सामग्री का पुनरीक्षण करने हेतु ;

(xii) राज्य सरकार के साथ–साथ केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों अनुसूचित जातियो, पिछड़े वर्गो, कृषकों और श्रमिकों सहित समाज के कमजोर वर्गों के लिए चलाई जा रही समस्त स्कीमों जोकि उनके हितों के संरक्षण हेतु बनाई गई हैं, और समस्त सांविधिक (कानूनी) विधियों, नियमों इत्यादि के बारे में सूचना उपलब्ध कराने हेतु ;

(xiii) ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए संदाय हेतु जो राज्य सरकार / केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर विनिश्चित किए जाए; और

(xiv) विधिक साक्षरता शिविरों में भागीदारों के साथ–साथ योग्यता वाले स्त्रोत (रिसोर्स) व्यक्तियों के लिए पारिश्रमिक का संदाय करने हेतु।

4. सहायता अनुदान के उद्देश्य.––सहायता अनुदान के उद्देश्य हैं, समाज के कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त और समुचित विधिक सेवा उपलब्ध करवाना, यह सुनिश्चित करना कि किसी नागरिक को आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित तो नहीं किया जा रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना कि विधिक व्यवस्था इस प्रकार से काम कर रही है कि न्याय सभी के लिए समान अवसर के आधार पर सुलभ हो तथा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन विरचित विभिन्न विभिन्न विधिक सहायता स्कीमों और अन्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन हो।

स्पष्टीकरणः––"विधिक सेवा" के अन्तर्गत किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण या अधिकरण (ट्रिव्यूनल) के समक्ष किसी मामले के अथवा अन्य विधिक कार्यवाही के संचालन में प्रदान की गई कोई सेवा है और किसी विधिक विषय पर दिया गया कोई परामर्श है। "विधिक सेवा" के अन्तर्गत उनके लिए जो विधिक सेवाओं के लिए फीस का संदाय करने में असमर्थ हैं वकील उपलब्ध करवाना भी है। विधिक सेवा से न्यायालय मामलों में विधिक प्रतिनिधित्व ही अभिप्रेत नहीं है परन्तु इसके अन्तर्गत विधिक परामर्श, काउंसलिंग, माध्यस्थम और मशवरा (परामर्श) और उनके अधिकारों, कर्तव्यों और वाध्यताओं आदि के बारे में विधिक जानकारी का सृजन करना भी है। दूसरे शब्दों में, इन नियमों का उद्देश्य विशेषाधिकारहीन, निर्धन उपेक्षित और विपन्न (दीनहीन) व्यक्तियों के विधिक और संवैधानिक अधिकारों की संरक्षा सुनिश्चित करना है।

हमारा संविधान सभी नागरिकों को समान न्याय का बचन देता है। हमारे लोक तान्त्रिक समाज में समान न्याय का वचन हमसे उस वचन को वास्तविकता में परिवर्तित करने वाले महान कार्य के प्रति अपने को न्योच्छावर करने की अपेक्षा करता है क्योंकि हमारे लाखों नागरिक अन्याय के विरुद्ध किसी एक या अन्य रूप में निवारण की मांग करते हैं। एक सही लोकतन्त्र के मूलभूत सिद्धांतों में से एक यह है कि इसके नागरिक उनके विधिक अधिकारों के सम्बन्ध में शिक्षित होने चाहिएं और यह कि वे अपने अधिकारों के समर्थन या प्रतिरक्षा में विधिक सहायता हेतु हकदार भी होने चाहिए।

अतः, विधिक साक्षरता का अविर्भाव विधियों और विधिक प्रणाली की अनुवर्ती सामाजीकरण प्रक्रिया के रूप में अनिवार्यता से देखी जाना चाहिए। विधिक साक्षरता साधारण आदमी के लिए विकास की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए तैयार करने हेतु एक सहायता के रूप में विधियों और विधिक प्रक्रिया के बारे में मूलभूत चेतना विवक्षित करती है।

5. निधिकरण.––सम्बद्ध प्राधिकरणों / समितियों से निधियों का उपबन्ध करवाने के लिए उद्देश्यों को दर्शाते हुए लिखित प्रार्थना के प्राप्त होने पर, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, केन्द्रीय प्राधिकरण या सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में से, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन बनाई गई विभिन्न विधिक सहायता स्कीमों और अन्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के प्रयोजन हेतु सहायता / निधि को प्रदान आबंटित कर सकेगा और विभिन्न स्कीमों के मध्य विनियोग, राज्य प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के विवेक पर छोड़ दिया जाएगा। आबंटन निधि की उपलब्धता के अध्यधीन किया जाएगा।

सहायता अनुदान का निर्मोचन पूर्वतन अनुदानों के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्रों को / के प्रस्तुत करने / प्रस्तुतीकरण के अध्यधीन होगा और यह प्रमाण पत्र, हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 1971 खण्ड–1 और तद्धीन समय–समय पर जारी निर्देशों के सुसंगत उपबन्धों के अधीन विनिर्दिष्ट आरूप (फॉरमैट) पर उसकी निर्मुक्ति हेतु प्राधिकृत समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

6. सहायता अनुदान की अनुदान स्वीकृति हेतु शर्तें.––(1) निधियों का आबंटन इस शर्त के अध्यधीन है कि यह उसी प्रयोजन के लिए व्यय किया जाएगा जिसके लिए यह स्वीकृत हुआ है।

(2) सम्बद्ध प्राधिकरणों / समितियों द्वारा रकम का कोई भी भाग जिसका उपयोग संभव्य नहीं है, 15 मार्च से पूर्व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अभ्यर्पित कर दिया जाएगा और इसके द्वारा प्रतिधारित नहीं किया जाएगा, ताकि अव्ययित रकम अभ्यर्पित की जा सके या सम्बद्ध केन्द्रीय प्राधिकरण / राज्य सरकार से निधियों को आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अग्रेषित करने की अनुमति अभिप्राप्त हो सके।

(3) निधियों के किसी भी भाग का स्थापना मामलों जैसे कि वेतन और भत्ते, फर्नीचर के क्रय इत्यादि के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि विशेष रूप से निर्दिष्ट न हो।

(4) सहायता अनुदान के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के साथ उपर्युक्त निधियों में से की गई किसी उपस्कर खरीद (क्रय) का उक्त प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना उस प्रयोजन के अतिरिक्त जिनके लिए निधियां प्रदान की गई हैं, व्ययनित विल्लंगमित तया उपयोग में लाया नहीं जाएगा।

(5) प्राधिकरणों / समितियों के लेखे, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण हेतु और महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश भारत के महालेखापरीक्षक और नियंत्रक द्वारा जांच परीक्षण के लिए खुले रखे जाएंगे ।

7. लेखों का अनुरक्षण और लेखापरीक्षाः——यथास्थिति प्राधिकरण / समितियां लेखों और अन्य सुसंगत अभिलेखों का सही एवं समुचित अनुरक्षण करेंगी और आहरित किए जाने वाले व्यय पर पूर्ण और सही नियन्त्रण रखेंगी। प्राधिकरण / समितियां प्रतिमाह प्ररूप संख्याः I में निर्धारित निदर्शन पत्र (प्रोफार्मा) पत्र पर व्यय का सही और समुचित माहवार विवरण राज्य प्राधिकरण को देंगी। प्राधिकरण / समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में राज्य प्राधिकरण को प्ररूप संख्याः II पर उपयोगित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा / करेगी। तत्पश्चात राज्य प्राधिकरण द्वारा सम्बद्ध प्राधिकरण / समिति द्वारा प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर यथास्थिति हिमाचल प्रदेश सरकार या केन्द्रीय प्राधिकरण अर्थात राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

राज्य प्राधिकरण यथास्थिति, राज्य प्राधिकरण या केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर रसीद एवं संदाय लेखे, आय और व्यय लेखा और तुलन–पत्र (बैलेंस शीट) तैयार करेगा, और उसे महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश को उनकी प्रामाणिकता और लेखा–परीक्षा के लिए प्रस्तुत करेगा। प्राधिकरण के लेखे, जब भी महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रमाणित कर दिए जाए, राज्य प्राधिकरण द्वारा वर्षवार यथास्थिति राज्य सरकार या केन्द्रीय प्राधिकरण को अग्रेषित कर दिए जाएंगे ।

प्राधिकरणों / समितियों के लेखे भारत के नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अन्तराल पर जैसा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, संपरीक्षित किए जाएंगे और ऐसे लेखा परीक्षण के संबन्ध में आहरित हुआ कोई व्यय सम्बद्ध प्राधिकरण / समिति द्वारा भारत के नियन्त्रक एवं लेखा परीक्षक संदेय होगा।

भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के और उसके द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति के किसी प्राधिकरण के लेखों के संवरीक्षण से सम्बन्धित वही अधिकार और विशेषाधिकार और ऐसे लेखा परीक्षा (ऑडिट) के संबंध में वैसे ही प्राधिकार होंगे जैसे कि भारत के नियन्त्रक और लेखा परीक्षक के पास सरकारी लेखों के सम्परीक्षण के संबंध में हैं और, विशेषतया बहियों (पुस्तकों) लेखों, सम्बद्ध वाउचरों (बीजकों) और अन्य दस्तावेजों और कागज पत्रों को प्रस्तुत करने की मांग करने तथा प्राधिकरण / समिति के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार रहेगा।

भारत के नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा यथाप्रमाणित प्राधिकरण / समितियों के लेखे या तद्धीन कोई अन्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट, राज्य प्राधिकरण द्वारा प्रतिवर्ष यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या, राज्य सरकार को अग्रेषित की जाएगी। राज्य सरकार, इसके द्वारा प्राप्त लेखों और लेखा परीक्षा रिपोर्ट को उनके प्राप्त होने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखे जाने के लिए प्रस्तुत करेगी।

राज्य सरकार से सहायता अनुदान के रूप में मिली रकम कोषागार से आहरित की जाएगी और उसे हिमाचल प्रदेश फाईनैंशल रूल्ज, 1971 खण्ड–I (जनरल प्रिनसिपलज एण्ड रिस्ट्रिक्शनज रीलेटिंग टू ऍक्सपैंडिचर नियम और निर्बन्धन) के पैरा 2.10 और अन्य सुसंगत नियमों और विनियमों के अनुसार, सम्बद्ध को सवितरित कर दिया जाएगा।

केन्द्रीय प्राधिकरण से प्राप्त सहायता अनुदान, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1996 के अध्याय II और III के अनुसार अनुसूचित बैंक में अनुरक्षित रखा जाएगा।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
विधि परामर्शी एवं सचिव ।

————————

निदर्षनपत्र (प्रोफार्मा)

प्ररूप संख्या–I

I. मास के दौरान उपलब्ध निधियों का ब्यौरा :

(क) पूर्ववर्ती मास की समाप्ति के समय बची हुई अप्रयुक्त रकम का शेष।

(ख) चालू मास के दौरान प्राप्त की गई निधि / अनुदान

(ग) प्राप्त किया गया दान (संदान)

(घ) लोक अदालत में न्यायालय द्वारा अधिरोपित लागत (खर्च)

(ङ) अर्जित ब्याज

(च) अन्य स्त्रोत से प्राप्त निधियां (स्त्रोत का विवरण दें)

II. मास के दौरान उपगत व्यय का ब्यौरा :

(क) विधिक साक्षरता कैम्प (शिविर)

(ख) लोक अदालत आयोजित करना

(i) पीठासीन अधिकारी को सदंत फीस
(ii) राज्य को संदत फीस
(iii) प्रकीर्ण व्यय

(ग) विधिक सहायता परामर्श (कांउसिल) फीस

(घ) मानदेय

(ङ) प्रकाशन

(i) पैम्फलेट (पुस्तिका)
(ii) समाचार पत्र
(iii) (स्मारिका) स्मृति चिन्ह
(iv) अन्य (शीर्ष का विवरण दें)

(च) प्रचार

(i) विज्ञापन पट्ट
(ii) विज्ञापन
(iii) मुनादी
(iv) बैनर
(v) इस्तहार
(vi) अन्य (शीर्ष का विवरण दें)

(छ) वाहन, फैक्स / फोटोमशीन / कम्पयूटर / वातानुकूलक / फर्नीचर इत्यादि अवसंरचना पर व्यय।
(ज) यात्रा व्यय
(झ) परिवहन (वहन)
(ञ) दूरभाष व्यय
(ट) कोई अन्य व्यय

कुल व्यय

मास के दौरान बची हुई अप्रयुक्त रकम

————————

प्ररूप संख्या–II

विधिक सेवा प्राधिकरण / समिति

उपाबन्ध ''ख''

प्ररूप जी0एफ0आर0–19–ए
(नियम 150 के नीचे भारत सरकार का विनिश्चय (1) देखें)
उपयोग प्रमाण पत्र का प्ररूप

क्रम संख्या	स्वीकृति पत्र संख्या और तारीख	रकम (रुपयों) में

01. प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान के पक्ष में स्वीकृत अनुदान सहायता की रकम में से, वित्तीय वर्ष के दौरान के आयोजन के प्रयोजन हेतु रुपये की रकम का उपयोग किया गया है, जिसके लिये इसे स्वीकृत किया गया था।

2. प्रमाणित किया जाता है कि मेरा पूर्ण रूप से समाधान हो गया है कि वह शर्ते जिनके द्वारा सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया था, का सम्यक रूप से पालन किया गया है, और रकम (धनराशि) का उसी प्रयोजन के लिये उपयोग किया गया था जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था।

————————

[*Authoritative English Text of this Department notification No. LLR-C*(1)-5/80, *dated* 30*th May*, 2009 *as required under clause* (3) *of the Article* 348 *of the Constitution of India*].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002 *the, 30th May,* 2009

No. LLR-C(1)-5/80.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the rules for regulation of the grant-in-aid/funds received by the Himachal Pradesh State Legal Services Authority in terms of the provisions of sections 4(c) and 16(1)(b) of the Legal Services Authorities Act, 1987 (as amended from time to time), as under:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh State Legal Services Authority (grant-in-aid) Rules, 2009.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Definitions.—(1) In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context,—

(a) "Act" means the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act No. 39 of 1987);

(b) "Central Authority" means the National Legal Services Authority constituted under section 3 of the Act;

(c) "Chairman" means the Executive Chairman of the State Authority, or, the Chairman of the High Court Legal Services Committee, or, the Chairman of the District Legal Services Authority, or, the Chairman of the Sub Divisional (Taluk) Legal Services Committee as the case may be;

(d) "District Authority" means a District Legal Services Authority constituted under section 9 of the Act;

(e) "Government" means Government of Himachal Pradesh;

(f) "High Court Legal Services Committee" means a High Court Legal Services Committee constituted under section 8A of the Act;

(g) "Lok Adalat" means a Lok Adalat organised under section 19 of Chapter VI of the Act;

(h) "regulations" means the Himachal Pradesh State Legal Services Authority regulations made under the Act;

(i) "rules" means the Himachal Pradesh State Legal Services Authority Rules, framed under the Act;

(j) "Secretary" means the Member-Secretary of the State Legal Services Authority constituted under section 6 of the Act, or, the Secretary of the High Court Legal Services Committee constituted under section 8-A of the Act, or, the Secretary of the District Legal Services Authority constituted under section 9 of the Act, as the case may be;

(k) "State Authority" means a State Legal Services Authority constituted under section 6 of the Act;

(l) "Taluk Legal Services Committee" means a Taluk Legal Services Committee constituted under section 11A of the Act;

(2) All other words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act and schemes framed under the relevant provisions of the Act.

3. Purpose of Grant-in-Aid.—The funds received in the shape of grant-in-aid shall be further allocated to the High Court Legal Services Committee, District Legal Services Authority, Taluk Legal Services Committee for the following purposes:—

(i) for the implementation of Legal Aid Scheme and other programmes framed under the Legal Services Authorities Act, 1987 and by the State Government from time to time;

(ii) to give legal service to persons who satisfy the criteria laid down under the provisions of the Act and the regulation framed thereunder;

(iii) to conduct Lok Adalats, including the Lok Adalats for High Court cases.;

(iv) for the payment of legal aid counsel fee;

(iv) to organise Legal Literacy Camps known as "Vidhik Saksharata Shivir" in rural areas as well as in urban areas;

(vi) for the payment of honorarium to be paid to Legal practitioners and staff of the concerned Authorities/ Committees;

(vii) to purchase law books;

(viii) to formulate guidelines for contents of legal literacy materials;

(ix) to consider the use of visuals in legal literacy materials with a view to supporting or illustrating the legal concepts or legal processes;

(x) to undertake preparation of sample materials on legal literacy;

(xi) to review the existing materials on legal literacy;

(xii) to provide the information about all schemes launched by State Government as well as Central Government and all statutory laws, rules etc. to the weaker sections of the society including scheduled tribes, scheduled castes, backward classes, agriculturists and labourers, which are made for protection of their interests;

(xiii) for the payment of such other purposes as may be decided by the State Government/Central Authority from time to time; and

(xiv) for payment of remuneration to the participants as well as resource persons in the Legal Literacy Camps;

4. Objects of Grant-in-Aid.—The objects of grant-in-aid are to provide free and proper legal services to the weaker sections of the society, to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities, to organise Lok Adalats to secure that the operation of the legal system promotes justice on the basis of equal opportunities to all and for the implementation of various legal aid schemes and other programmes framed under the Legal Services Authorities Act, 1987.

Explanation.—"Legal Service" includes the rendering of any service in the conduct of any case or other legal proceeding before any court or other authority or tribunal and the tendering advice on any legal matter. "Legal Service" also includes providing lawyers to those who are unable to pay fees for the legal services. Legal Services means not only legal representation in court cases but also includes legal advice, counseling, arbitration and conciliation, creation of legal awareness about their rights, duties and obligations etc.

In other words the objective of these rules is to ensure protection of legal and constitutional rights of the under privileged, the poor, the neglected and the indigent.

Our Constitution promises equal justice to all citizens. The promise of equal justice in our democratic society requires us to dedicate ourselves to the great task of converting that promise

into reality because million of our citizens claim redress against injustice in one form or another. One of the fundamentals of a true democracy is that its citizen should be educated about their legal rights and that they should also be entitled to legal assistance in the assertion or defence of their rights.

Therefore, the emergence of legal literacy should essentially be seen in the on going process of socialization of laws and legal process. Legal Literacy implies basic awareness regarding laws and legal process for common man as an aid to equipping the person for meaningful participation in the process of development.

5. Funding.—On the receipt of written request from the concerned Authorities/ Committees indicating the purpose of providing the funds the Himachal Pradesh State Legal Services Authority may release the grant/allocate the funds out of the grant-in-aid received from the Central Authority or the Government for the purpose of implementation of various legal aid schemes and other programmes framed under the Legal Services Authorities Act, 1987 and the appropriation across various schemes shall be left to the discretion of the Executive Chairman of the State Authority. The allocation shall be made subject to availability of funds.

Release of grant-in-aid shall be subject to the production of utilization certificates in respect of previous grants and this certificate shall be submitted to the appropriate authority authorized to release the same on the format specified under the relevant provisions of Himachal Pradesh Financial Rules, 1971, Vol. I and instructions issued thereunder from time to time.

6. Conditions for the sanction of Grant-in-Aid.—(1) The allocation of funds is subject to the condition that it shall be spent for the purpose for which it is sanctioned.

(2) Any portion of the amount which is not likely to be utilized shall be surrendered by the concerned Authorities/Committees to the State Legal Services Authority before 15th of March and shall not be retained by it, so that unspent amount could be surrendered or permission to carry forward the funds for the next financial year could be obtained from the concerned Central Authority/State Government.

(3) No part of the funds shall be utilized on establishment matters such as, pay and allowances, purchase of furniture etc., unless specifically indicated.

(4) Any equipment purchase out of the above funds with the prior approval of Himachal Pradesh State Legal Services Authority for furtherance of the objects of the grant-in-aid shall not without the prior sanction of said Authority be disposed of, encumbered or utilized for the purpose other than those for which the funds are given.

(5) The accounts of the Authorities/Committees shall be open for inspection by the officers/officials of the Himachal Pradesh State Legal Services Authority and test check by the Accountant General, Himachal Pradesh, Comptroller and Auditor General of India.

7. Maintenance of Accounts and Audit.—The Authorities/Committees, as the case may be, shall maintain true and proper accounts and other relevant record and exercise complete and full control over the expenditure to be incurred. The Authorities/Committees shall render true and proper itemwise statement of expenditure every month in the proforma prescribed in Form No.I to the State Authority. The Authority/Committee shall submit the utilization Certificate in Form No.II to the State Authority at the close of every financial year. Thereafter, utilization Certificate shall be issued by the State Authority to the Government of Himachal Pradesh or Central Authority

i.e. National Legal Services Authority, as the case may be on the basis of Utilization Certificate supplied by the concerned Authority/Committee.

The State Authority shall prepare Receipt & Payment accounts, Income and Expenditure account and Balance sheet on the proforma prescribed by State Authority/Central Authority, as the case may be, and submit the same to the Accountant General, Himachal Pradesh for their certification and Audit. The accounts of the Authority as and when certified by the Accountant General, Himachal Pradesh shall be forwarded by the State Authority annually to the State Government or Central Authority, as the case may be.

The accounts of the Authorities/Committees shall be audited by the Comptroller and Auditor General of India at such interval as may be specified by him and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Authority/Committee concerned to the Comptroller and Auditor General of India.

The Comptroller and Auditor General of India and other person appointed by him in connection with the auditing of the accounts of an Authority shall have the same rights and privileges and authority in connection with such audit as the Comptroller and Auditor General of India has in connection with the auditing of the Government accounts and, in particular, shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers, and other documents and papers and to inspect any of the offices of the Authorities/Committee.

The accounts of the Authorities/Committees as certified by the Comptroller and Auditor General of India or any other audit report thereon, shall be forwarded annually by the State Authority to the Central Government or the State Government, as the case may be.

The State Government shall cause the accounts and the audit report received by it to be laid, as soon as may be after they are received, before the State Legislature.

The amount received in the shape of grant-in-aid from the State Government shall be withdrawn from the treasury and disbursed to concerned according to the para 2.10 (General Principles and restrictions relating to expenditure) of the Himachal Pradesh Financial Rules,1971, Vol.I and other relevant rules and regulations.

The Grant-in-Aid received from the Central Authority shall be maintained in a scheduled bank as per Chapter II and III of the Himachal Pradesh State Legal Services Authority Regulations, 1996.

By order,
A. C. DOGRA,
LR.-cum-Secretary.

PROFORMA

Form No. 1

I. Detail of funds available during the months:

(a) Balance unspent amount left at the close of previous month

(b) Funds/Grants received during the current month

(c) Donations received

(d) Cost imposed by the Court held in the Lok Adalat

(e) Interest earned

(f) Funds received from any other source (State the source)

II. Detail of expenditure incurred during the month:

(a) Legal Literacy Camps

(b) Holding of Lok Adalat:

(i) Fee paid to the Presiding Officer
(ii) Fee paid to the State
(iii) Miscellaneous expenses

(c) Legal Aid Counsel fee

(d) Honorarium

(e) Publication:

(i) Pamphlets
(ii) News letter
(iii) Souvenir
(iv) Others (State the head)

(f) Publicity:

(i) Hoardings
(ii) Advertisement
(iii) Munadi
(iv) Banners
(v) Leaflets
(vi) Any other(State the head)

(g) Expenditure on infrastructure like vehicle Fax/photo machine/computers ACs, furniture etc.

(h) Travelling Expenses

(i) Conveyance

(j) Telephone Expenses

(k) Any other expenses

Total expenses

Amount left unspent during the month

Form No.II

_____Legal Services Authority / Committee

Annexure'B'

Form G.F.R. 19-A

[*See* Government of India decision (1) below Rule 150)]

FORM OF UTILISATION CERTIFICATE

S.No.	Sanction letter No.	Amount and date	(in Rs.)

01. Certified that out of Rs._____ of Grant-in-Aid sanctioned during the financial year _____in favour of the _____a sum of Rs._____has been utilized for the purpose of holding _____ during the Financial year_____ for which it was sanctioned.

02. Certified that I have satisfied my self that the conditions on which the grant-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled and money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

_____

In the Court of Marriage Officer-*cum*-Sub-Divisional Magistrate, Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Sushil Kumar 21 years son of Shri Piare Lal, resident of village Khungan, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H. P.).

2. Sandesh Kumari aged 19 years d/o Shri Piar Singh, resident of village Kotlu Brahmna, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H. P.) . . *Applicants.*

Versus

General public

Subject.—Application for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act, 2001 (49 of 2001).

Sushil Kumar 21 years son of Shri Piare Lal, resident of Village Khungan, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H. P.) and Sandesh Kumari aged 19 years d/o Shri Piar Singh, resident of village Kotlu Brahmna, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur (H. P.) have filed an application alongwith affidavit in the Court of under signed under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act, 2001 (49 of 2001)

that they have solemnized their marriage on 22-1-2009 at Shri Luxmi Narayan Temple, Bilaspur (H. P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 10-8-2009 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on ..... under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Ghumarwin, District Bilaspur, Himachal Pradesh.

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 27 / 9 ऑफ 07 तारीख पेशी : 16–9–2009 गांव : थाच

श्री दुर्गा पुत्र कदारू, निवासी गांव थाच, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश . . वादी।

बनाम

1. सर्वश्री / श्रीमती हरी राम, 2. श्याम लाल, 3. लालमन पुत्रान तुलसी, 4. बिमला देवी पुत्री तुलसी, 5. राधा देवी विधवा तुलसी, 6. अभिशेख, 7. काजल पुत्र / पुत्री चेत राम द्वारा बबलायत श्रीमती लीला देवी फरीकसानी नं0 8, 8. लीला देवी विधवा चेत राम, 9. राम देई माता चेत राम, 10. ईश्वर दास, 11. रमेश चन्द पुत्रान गोपाला, 12, हेमा देवी, 13. सोमा देवी पुत्रियां गोपाला, 14. मस्त राम, 15. लेख राम पुत्रान कदारू, 16. सुहारू, 17. जानकी पुत्रियां कदारू, सभी निवासी गांव थाच, 18. सुन्दर पुत्र शंकरू, निवासी हाल बाग पुगलाटा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, 19. पदमा पुत्र बोहरा, 20. सुख राम, 21. शिव राम पुत्रान सुन्दर, 22. कान्ता, 23. राम प्यारी पुत्रियां सुन्दर, 24. कुन्कू, 25. पिन्कू पुत्रान किरपा, 26. रोशन लाल पुत्र परस राम, 27. कला, 28. रतनी पुत्रियां परस राम, 29. तुलसी विधवा परस राम, 30 चुनी लाल, 31. लच्छू पुत्रान सिहणू, 32. गंगी, 33. मीरा कुमारी पुत्रियां सिहणू, 34. नीम चन्द पुत्र लेख राम, 35. ओम दत पुत्र चिन्ता, 36 कान्ता विधवा खजाना, 37. दया राम पुत्र सुदामा, सभी निवासी गांव थाच, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश . . प्रतिवादीगण।

आवेदन–पत्र अधीन धारा 123 भू–राजस्व अधिनियम 1954 निसवत किए जाने तकसीम भूमि खाता / खतौनी नं0 42 / 51, 52, 53, 54, 55, खसरा नं0 20, 31, 36, 43, 137, 180, 201, 268, 269, 196, तादादी 16–16 बीघा, बाक्या मौजा थाच, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त विषय पर वादी ने आवेदन–पत्र धारा 123 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत गुजारा है कि उसकी मुशतरका भूमि खसरा नं0 20,31, 36, 43, 137, 180, 201, 268, 269, 196, तादादी 16–16 बीघा वाक्या मौजा थाच की तकसीम की जावे। प्रतिवादीगण को कई बार न्यायालय से समन जारी किए गए लेकिन तामील असालतन न हो पाई है। न्यायालय को विश्वास हो चुका है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीका से नहीं हो सकती।

अतः इस इश्तहार के द्वारा सभी प्रतिवादीगणों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त अराजी की तकसीम करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह अपना उजर / एतराज दिनांक 16–9–2009 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी को पेश कर सकता है। इसके उपरान्त किसी किस्म का एतराज जेरे समायत न होगा और तकसीम करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17–7–2009 को हस्ताक्षर हमारे व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 29 / 9 ऑफ 07 तारीख पेशी : 16–9–2009 गांव : मैंस

श्री दुर्गा पुत्र कदारू, निवासी गांव थाच, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश .. वादी।

बनाम

1. सर्वश्री / श्रीमती अभिशेख, 2. काजल नाबालिग पुत्र / पुत्री चेत राम द्वारा माता लीला देवी फरीकसानीयान नं0 3, 3. लीला देवी विधवा चेत राम, 4. राम देई माता चेत राम, 5. ईश्वर दास, 6. रमेश चन्द पुत्रान गोपाला, 7. हेमा देवी, 8. सोमा देवी पुत्रियां गोपाला, 9. हरी राम, 10. श्याम लाल, 11. लालमन पुत्रान तुलसी, 12. बिमला देवी पुत्री तुलसी, 13. राधा देवी विधवा तुलसी, 14. मस्त राम, 15. लेख राम पुत्रान कदारू, 16. सुहारू, 17. जानकी पुत्रियां कदारू, सभी निवासी गांव थाच, 18. सुन्दर पुत्र शकरू, निवासी बाग पुगलाटा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश .. प्रतिवादीगण।

आवेदन–पत्र अधीन धारा 123 भू–राजस्व अधिनियम 1954 किए जाने तकसीम भूमि मुशतरका खाता / खतौनी नं0 36 / 36, खसरा नं0 64, 90, 111, 115, 132, 138, 73, 105, 155, 182, 183 व 187 तादादी 38–06 बीघा, बाक्या मौजा मैंस, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त विषय पर श्री दुर्गा राम पुत्र कदारू, निवासी गांव थाच, ने अधोहस्ताक्षरी की न्यायालय में दावा तकसीम खाता मुशतरका खाता / खतौनी नं0 36 / 36, खसरा नं0 64, 18, 111, 115, 132, 138, 73, 105, 155, 182, 183 व 187 तादादी 38–06 बीघा, बाक्या मौजा थाच, तहसील सदर, जिला बिलासपुर दायर किया हुआ है। उपरोक्त प्रतिवादीगण को न्यायालय से कई बार समन भेजे गए लेकिन तामील असालतन नहीं हो पा रही है। अब न्यायालय को विश्वास हो चुका है कि तामील साधारण तरीका से नहीं हो सकती।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा सभी प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह अपना उजर / एतराज दिनांक 16–9–2009 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी को स्वयं प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि को एजर / एतराज पेश न होने की सूरत में कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जाकर उपरोक्त भूमि के तकसीम करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे तथा किसी किस्म का कोई उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 17–7–2009 को हस्ताक्षर हमारे व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 28 / 9 ऑफ 07 तारीख पेशी : 16–9–2009 गांव : थाच

श्री दुर्गा पुत्र कदारू, निवासी गांव थाच, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश .. प्रार्थी।

बनाम

1. सर्वश्री / श्रीमती लेख राम, 2. चिन्ता पुत्रान गंगा राम, 3. हरी राम, 4. श्याम लाल, 5. लालमन पुत्रान तुलसी, 6. बिमला देवी पुत्री तुलसी, 7. राधा देवी विधवा तुलसी, 8. देव राज, 9. लालमन पुत्रान चेत राम, 10. कमला देवी, 11. पींकी, 12. मनोरमा पुत्रियां चैत राम, 13. गीता विधवा चेत राम, 14. सरवणू माता चेत राम, 15. रामा, 16. सीतू पुत्र सन्तोखी, 17. मस्त राम, 18. लेख राम पुत्रान कदारू, 19 सुहारू, 20. जानकी पुत्रियां कदारू, सभी निवासी गांव थाच, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, 21. सुन्दर पुत्र शंकरू, निवासी गांव थाच, हाल बाग पुगलाटा, 22. अभिशेख नाबालिग, 23. काजल नाबालिग द्वारा माता श्रीमती लीला देवी फरीकसानीयान नं0 24 माता खुद, 25. राम देई माता चेत राम, 26. ईश्वर दास, 27. रमेश चन्द पुत्रान गपाला, 28. हेमा देवी, 29. सोमा देवी पुत्रियां गपाला, सभी निवासी गांव थाच, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश .. प्रतिवादीगण।

आवेदन–पत्र अधीन धारा 123 भू–राजस्व अधिनियम 1954 किए जाने तकसीम भूमि मुशतरका खाता / खतौनी नं0 43 / 56, खसरा नं0 246 तादादी 1–05 बीघा, बाक्या मौजा थाच, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त विषय पर श्री दुर्गा पुत्र कदारू, निवासी गांव थाच, तहसील सदर, जिला बिलासपुर ने अधोहस्ताक्षरी की न्यायालय में दावा तकसीम बाबत मुशतरका भूमि खाता / खतौनी नं0 43 / 56 खसरा नं0 246, तादादी 1–05 बीघा, बाक्या मौजा थाच दायर कर रखा है। प्रतिवादीगण को कई बार इस न्यायालय से समन जारी किए गए लेकिन तामील असालतन न हो रही है। अब न्यायालय को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि तामील सही ढंग से नहीं हो सकती।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा सभी उपरोक्त फरीकदोयम को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त भूमि की तकसीम करने में कोई उजर / एतराज हो तो वह अपना उजर / एतराज असालतन या वकालतन दिनांक 16–9–2009 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत कर सकता है। उजर / एतराज पेश न होने की सूरत में कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जाकर वाद ग्रस्त भूमि की तकसीम करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17–7–2009 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

———

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 30 / 9 ऑफ 07 तारीख पेशी : 16–9–2009 गांव : मैंस

श्री दुर्गा पुत्र कदारू, निवासी गांव थाच, परगना बहादरपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश .. प्रार्थी।

बनाम

1. सर्वश्री / श्रीमती अभिशेख पुत्र चेत राम, 2. काजल कुमारी पुत्री चेत राम, नाबालिग द्वारा माता श्रीमती लीला देवी खुद, 3. लीला देवी पत्नी चेत राम, 4. राम देई माता चेत राम, 5. ईश्वर दास, 6. रमेश चन्द पुत्रान गोपाला, 7. हेमा देवी, 8. सोमा देवी पुत्रियां गोपाला, 9. हरी राम, 10. श्याम लाल, , 11. लालमन पुत्रान तुलसी, 12. बिमला देवी पुत्री तुलसी, 13. राधा देवी विधवा तुलसी, 14. मस्त राम, 15. लेख राम पुत्रान कदारू, 16. सुहारू, 17. जानकी पुत्रियां कदारू, सभी निवासी गांव थाच, परगना बहादरपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश 18. सुन्दर पुत्र शंकरू, निवासी गांव बाग पुगलाटा, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, 19. रोशनी पत्नी नन्द लाल, निवासी गांव थाच, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

. . प्रतिवादीगण।

आवेदन–पत्र बाबत तकसीम भूमि 4–10 बीघा, मंदरजा खेवट नं0 37, खसरा नं0 126, 124, बाक्या मौजा मैंस, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

श्री दुर्गा पुत्र कदारू, निवासी गांव थाच ने अधोहस्ताक्षरी की न्यायालय में आवेदन–पत्र अधीन धारा 123 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अधीन मुशतरका भूमि खात / खतौनी नं0 37 / 37 खसरा नं0 126, 124 तादादी 4–10 बीघा वाक्या मौजा मैंस की तकसीम हेतु गुजार रखा है। प्रतिवादीगण को अधोहस्ताक्षरी की न्यायालय से बार–बार समन भेजे गए लेकिन तामील असालतन नहीं हो रही है। अब न्यायालय को विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीका से नहीं हो सकती।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा आम जनता व हिस्सादार को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम करने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह अपना उजर / एतराज दिनांक 16–9–2009 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत कर सकता है। दिनांक 16–9–2009 को कोई उजर / एतराज पेश न होने की सूरत में एक तनफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। तथा इसके बाद कोई उजर / एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 17–7–2009 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

———————

ब अदालत श्री लाल मन, कार्यकारी दण्डाधिकारी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 12 / D / 09. तारीख पेशी : 21–8–2009.

श्री सुरमुख सिंह पुत्र श्री भुल्लु राम, निवासी गांव खुखनियाड़ा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री सुरमुख सिंह पुत्र श्री भुल्लु राम, निवासी गांव खुखनियाड़ा, जिला कांगड़ा ने प्रार्थना–पत्र पेश किया है कि उसके पिता की मृत्यु तिथि 08–11–1976 को गांव खुखनियाड़ा, तहसील फतेहपुर में हुई थी

परन्तु अज्ञानतावश उसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज न करवा सका है तथा दर्ज करवाने की प्रार्थना की है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु तिथि 8–11–1976 को ग्राम पंचायत झुम्ब के रिकार्ड में दर्ज करने में कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 21–8–2009 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत झुम्ब के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 8–7–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। लाल मन,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत श्री लाल मन, कार्यकारी दण्डाधिकारी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 13 / D / 09. तारीख पेशी : 21–8–2009.

श्री सुरमुख सिंह पुत्र श्री भुल्लु राम, निवासी गांव खुखनियाड़ा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री सुरमुख सिंह पुत्र श्री भुल्लु राम, निवासी गांव खुखनियाड़ा, जिला कांगड़ा ने प्रार्थना–पत्र पेश किया है कि उसकी माता की मृत्यु तिथि 08–11–1976 को गांव खुखनियाड़ा, तहसील फतेहपुर में हुई थी परन्तु अज्ञानतावश उसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज न करवा सका है तथा दर्ज करवाने की प्रार्थना की है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु तिथि 8–11–1976 को ग्राम पंचायत झुम्ब के रिकार्ड में दर्ज करने में कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 21–8–2009 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत झुम्ब के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 8–7–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। लाल मन,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत श्री लाल मन, कार्यकारी दण्डाधिकारी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 14 / B / 09. तारीख पेशी : 21–8–2009.

श्रीमती तृप्ता देवी विधवा श्री पुरशोत्तम लाल, निवासी गांव भवरोली, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थीया श्रीमती तृप्ता देवी विधवा श्री पुरशोत्तम, निवासी गांव भवरोली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने प्रार्थना–पत्र पेश किया है कि उसकी पुत्री का जन्म दिनांक 13–11–2004 को गांव भवरोली, तहसील फतेहपुर में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज न करवा सकी है तथा दर्ज करवाने की प्रार्थना की है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म तिथि 13–11–2004 को ग्राम पंचायत मच्छोट के रिकार्ड में दर्ज करने में कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 21–8–2009 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा जन्म तिथि को ग्राम पंचायत मच्छोट के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 8–7–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। लाल मन,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

––––––––––

ब अदालत श्री लाल मन, कार्यकारी दण्डाधिकारी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 15 / B / 09. तारीख पेशी : 21–8–2009.

श्री अशवनी कुमार पुत्र श्री प्यारे लाल, गांव नंगल, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री अशवनी कुमार पुत्र श्री प्यारे लाल, गांव नंगल, फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने प्रार्थना–पत्र पेश किया है कि उसके पुत्र का जन्म दिनांक 23–6–2005 को गांव नंगल, तहसील फतेहपुर में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज न करवा सका है तथा दर्ज करवाने की प्रार्थना की है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म तिथि 23–6–2005 को ग्राम पंचायत नंगल के रिकार्ड में दर्ज करने में कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 21–8–2009 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा जन्म तिथि को ग्राम पंचायत नंगल के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 8–7–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। लाल मन,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत श्री लाल मन, कार्यकारी दण्डाधिकारी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 : 16 / D / 09. तारीख पेशी : 21–8–2009.

श्रीमती तारो देवी पुत्री श्री भोन्डु, निवासी गांव घोली, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थीया श्रीमती तारो देवी पुत्री श्री भोन्डु, निवासी गांव घोली, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने प्रार्थना–पत्र पेश किया है कि उसके पिता की मृत्यु तिथि 20–9–1980 को गांव घोली, तहसील फतेहपुर में हुई थी परन्तु अज्ञानतावश उसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज न करवा सकी है तथा दर्ज करवाने की प्रार्थना की है।

अतः इस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु तिथि 20–9–1980 को ग्राम पंचायत लोहारा के रिकार्ड में दर्ज करने में कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 21–8–2009 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत लोहारा के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16–7–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। लाल मन,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत श्री लाल मन, कार्यकारी दण्डाधिकारी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश

केस नं0 22 / दरुस्ती / 09 तारीख पेशी 21–8–2009

श्री कमल सिंह पुत्र श्री जीत सिंह, निवासी गांव भदवाड़ा, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय :––प्रार्थना–पत्र वराए नाम दरुस्ती।

उपरोक्त प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख में उसका नाम केवल सिंह पुत्र श्री जीत सिंह दर्ज है। परन्तु स्कूल प्रमाण–पत्रों व ग्राम पंचायत के रिकार्ड में उसका नाम कमल सिंह पुत्र श्री जीत सिंह दर्ज है। अतः दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करवाई जावे।

अतः इस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्त करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 21–8–2009 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में पेश करें। हाजिर न आने की सूरत में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना–पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 8–7–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। लाल मन,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत श्री लाल मन, कार्यकारी दण्डाधिकारी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 23 / दरुस्ती / 09. तारीख पेशी 21–8–2009.

श्री राजीव सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह, निवासी गांव भाटी हड़ियालचां, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा

बनाम

आम जनता

विषय :––प्रार्थना–पत्र वराए नाम दरुस्ती।

उपरोक्त प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख में उसका नाम राजेश कुमार पुत्र श्री हरनाम सिंह दर्ज है। परन्तु स्कूल प्रमाण–पत्रों व ग्राम पंचायत के रिकार्ड में उसका नाम राजीव कुमार पुत्र श्री हरनाम सिंह दर्ज है। अतः दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करवाई जावे।

अतः इस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्त करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 21–8–2009 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में पेश करें। हाजिर न आने की सूरत में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना–पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 8–7–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। लाल मन,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

———————

ब अदालत श्री लाल मन, कार्यकारी दण्डाधिकारी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 24 / दरुस्ती / 09. तारीख पेशी 21–8–2009.

श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री घसीटू, साकन जुनॉट कला, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय :––प्रार्थना–पत्र वराए नाम दरुस्ती।

उपरोक्त प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख में उसका नाम सुरिन्द्र सिंह पुत्र श्री घसीटू दर्ज है। परन्तु स्कूल प्रमाण–पत्रों व ग्राम पंचायत के रिकार्ड में उसका नाम सुरजीत सिंह पुत्र श्री घसीटू दर्ज है। अतः दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करवाई जावे।

अतः इस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्त करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 21–8–2009 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में पेश करें। हाजिर न आने की सूरत में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना–पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 8–7–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। लाल मन,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत श्री लाल मन, कार्यकारी दण्डाधिकारी, फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 25 / दरुस्ती / 09. तारीख पेशी 21–8–2009.

श्री कृष्ण देव पुत्र श्री तुलसी राम, निवासी गांव मनोह, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय :––प्रार्थना–पत्र वराए नाम दरुस्ती।

उपरोक्त प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि राजस्व अभिलेख में उसका नाम किशना पुत्र श्री तुलसी राम दर्ज हैं परन्तु स्कूल प्रमाण–पत्रों व ग्राम पंचायत के रिकार्ड में उसका नाम कृष्ण देव पुत्र श्री तुलसी राम दर्ज है। अतः दरुस्ती राजस्व अभिलेख में करवाई जावे।

अतः इस इश्तहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्त करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 21–8–2009 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में पेश करें। हाजिर न आने की सूरत में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना–पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 8–7–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। लाल मन,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री एस0 एस0 ठाकुर, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती गुड्डी देवी पुत्री श्री तुलसी राम, निवासी धारली, डा0 अलसिण्डी, तहसील करसोग, जिला मण्डी।

बनाम

आम जनता

विषय :––प्रार्थना–पत्र 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थिया ने एक प्रार्थना–पत्र उप–मण्डल दण्डाधिकारी करसोग के न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो उनके कार्यालय के पत्र संख्या के0 एस0 जी0 (रीडर) / 08–4893 दिनांक 20–11–2008 द्वारा इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है। प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना–पत्र के साथ शपथ–पत्र जो दिनांक 29–8–2008 को सत्यापित किया है, नकल परिवार रजिस्टर जो पंचायत सचिव वलिण्डी द्वारा दिनांक 9–1–2008 को जारी की गई व फार्म नम्बर 10 भी प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना–पत्र में व्यक्त किया है कि उसकी बेटी रीतिका पुत्री श्रीमती गुड्डी का नाम ग्राम पंचायत वलिण्डी के परिवार रजिस्टर में किसी कारणवश दर्ज नहीं हुआ है अब आवेदिका अपनी बेटी का नाम रीतिका जिसकी जन्म तिथि 23–11–2002 है को ग्राम पंचायत वलिण्डी में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए व श्रीमती गुड्डी आवेदिका द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दर्ज करने में कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 9–9–2009 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपनी आपत्ति / एतराज पेश कर सकता है हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जावेगी व श्रीमती गुड्डी की पुत्री रीतिका का नाम ग्राम पंचायत वलिण्डी के परिवार रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश नियमानुसार प्रदान कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 27–6–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

एस0 एस0 ठाकुर,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

––––––––––

ब अदालत श्री एस0 एस0 ठाकुर, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती ववली पुत्री श्री दर्शन, निवासी बडौला (दछैहण), डा0 व तहसील करसोग, जिला मण्डी

बनाम

आम जनता

विषय :––प्रार्थना–पत्र 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थिया ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र जो दिनांक 24–6–2009 को सत्यापित किया है, नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत दछैहण जो पंचायत सचिव दछैहण द्वारा दिनांक 24–6–2009 को जारी की गई है व प्रपत्र नम्बर 10 जो पंचायत सचिव वडैहण द्वारा मिति 29–6–2009 को जारी की गई है प्रस्तुत किए हैं। प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना–पत्र में व्यक्त किया है कि उसकी वेटी हीना पुत्री श्रीमती ववली का नाम ग्राम पंचायत दछैहण के परिवार रजिस्टर में किसी कारणवश दर्ज नहीं हुआ है। अब आवेदिका अपनी बेटी जिसका नाम हीना व जन्म तिथि 14–1–2007 है को ग्राम पंचायत दछैहण में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए व श्रीमती ववली आवेदिका द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए सर्वसाधारण जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दर्ज करने में कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 9–9–2009 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपनी आपत्ति / एतराज पेश कर सकता है हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जावेगी व श्रीमती ववली की पुत्री का नाम ग्राम पंचायत दछैहण के परिवार रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश नियमानुसार प्रदान कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 27–6–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। एस0 एस0 ठाकुर,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
करसोग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

———————

ब अदालत श्री शरद सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री राज कुमार पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी चुजी, डा0 वरोट, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

जेर धारा 37 (2) के अन्तर्गत मुहाल चुजी, तहसील पधर में नाम दरुस्ती करने बारा।

श्री राज कुमार पुत्र श्री शेर सिंह, निवासी चुजी, डा0 वरोट, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने शपथी–पत्र सहित एक प्रार्थना–पत्र गुजारा है जिसमें प्रार्थना की है कि मुहाल चुजी, तहसील पधर के तमाम राजस्व रिकार्ड में रमेश कुमार दर्ज है जबकि ग्राम पंचायत बरोट में राज कुमार दर्ज हुआ है, प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम मुहाल चुजी के तमाम राजस्व रिकार्ड में रमेश कुमार उर्फ राज कुमार दर्ज करने के लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 28–8–2009 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में पेश करें नहीं तो एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना–पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 20–7–2009 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। शरद सिंह ठाकुर,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री एम0 एस0 ठाकुर, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री बसाखू पुत्र श्री घौला पुत्र श्री हाडू, निवासी गांव जलौण, ईलाका तुंगल, उप–तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . .प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रत्यार्थीगण।

दरख्वास्त राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती बारे।

श्री बसाखू पुत्र श्री घौला पुत्र श्री हाडू, निवासी गांव जलौण, ईलाका तुंगल, जिला मण्डी ने इस आशय से आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है कि मेरा वास्तविक नाम बसाखू है जोकि ग्राम पंचायत व स्कूल प्रमाण–पत्रों में अंकित है। परन्तु राजस्व अभिलेख में घरेलू नाम बसन्त सिंह अंकित हुआ है। अतः राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम की दरुस्ती की जावे।

अतः सर्वसाधारण जनता को बजरिया राजपत्र इश्तहार सूचित किया जाता है कि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 23–09–2009 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजर अदालत पेश कर सकता है अन्यथा हाजर न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 23–7–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

एम0 एस0 ठाकुर,
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील कोटली, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित